

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

उर्मिला देवी

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2024 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं. 186

10 सितम्बर 2024

(माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद और माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या आरोपी व्यक्तियों को भा.दं.वि. की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 325, 307, 504 और 506 के तहत आरोपों से बरी करने वाला विवादित निर्णय संधारणीय है या नहीं?

हेडनोट्स

दंड प्रक्रिया संहिता---धारा 378--- भारतीय दंड विधान---धारा 147, 148, 149, 323, 325, 307---गैरकानूनी जमावड़ा---हत्या का प्रयास---बरी के विरुद्ध अपील जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने उन आरोपियों को, जो कि उत्तरदाता संख्या 2 से 7 हैं, भारतीय दंड विधान की धाराओं 147, 148, 149, 341, 323, 324, 325, 307, 504 और 506 के अंतर्गत आरोपों की अपील में बरी कर दिया है---सभी छह उत्तरदाताओं (आरोपियों) के विरुद्ध पूर्व रंजिश के कारण सूचक पर हमला करने का आरोप है।

निर्णय: अभियुक्त व्यक्तियों की संख्या के साथ-साथ घटनास्थल पर उपस्थित अभियुक्त व्यक्तियों के नामों के संबंध में अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण गवाहों की गवाही में स्पष्ट असंगतियों के मद्देनजर एक गैरकानूनी जमावड़े की बुनियादी आवश्यकता, जिसके लिए पांच या अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा होना आवश्यक है, संदिग्ध हो जाती है--- हालांकि शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट की उपस्थिति धारा 307 भा.दं.वि. के तहत मामला बनाने के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन हत्या करने के किसी इरादे के अभाव में धारा 307 आईपीसी के तहत अपराध साबित नहीं किया जा सकता है--- अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के आधार पर, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे घटनास्थल को भी साबित करने में सक्षम रहा है--- अभियोजन पक्ष इस अपील में उत्तरदाता संख्या 3 और 4 क्रमशः रमेश राय और नरेश राय के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 325 के तहत आरोप साबित करने में सफल रहा है, क्योंकि सूचक को पहुंचाई गई चोटों के लिए विशेष

रूप से उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया है---आक्षेपित निर्णय आंशिक रूप से अपास्त किया जाता है--- उत्तरदाता संख्या 3 और 4 को भारतीय दंड संहिता की धारा 323 और 325 के तहत अपराध करने का दोषी पाया गया - आक्षेपित निर्णय को अन्य पहलुओं में पुष्टि की गई।
(कंडिका- 30-35, 39)

दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर विचार करते समय अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत---- अभियुक्त को दोषमुक्त करना निर्दोषता की धारणा को और मजबूत करता है---- दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर सुनवाई करते समय अपीलीय न्यायालय मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन करने का हकदार है तथा उसे इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि क्या ट्रायल कोर्ट द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है जिसे रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर लिया जा सकता था---- यदि लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है, तो अपीलीय न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश को इस आधार पर पलट नहीं सकता कि एक अन्य दृष्टिकोण भी संभव था---- अपीलीय न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश में केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर दर्ज किया जा सकने वाला एकमात्र निष्कर्ष यह था कि अभियुक्त का अपराध उचित संदेह से परे साबित हो गया था तथा कोई अन्य निष्कर्ष संभव नहीं था। (कंडिका-37)

न्याय दृष्टान्त

एच.डी. सुंदरा बनाम कर्नाटक राज्य (2023) 9 एस.सी.सी. 581पर भरोसा किया गया।

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड विधान, दंड प्रक्रिया संहिता।

मुख्य शब्दों की सूची

बरी किए जाने के खिलाफ अपील; हत्या का प्रयास; अवैध रूप से एकत्र होना; गंभीर चोट; चोट की रिपोर्ट; घटना का स्थान; हत्या का इरादा।

प्रकरण से उत्पन्न

गायघाट थाना कांड सं. 227/2014 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 615/2015 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-I, मुजफ्फरपुर द्वारा दिनांक 31.10.2023 को पारित निर्णय।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ता/ओं के लिए: श्री प्रधान मुरली मनोहर प्रसाद, अधिवक्ता

राज्य के लिए: सुश्री शशि बाला वर्मा, अपर पी.पी.

उत्तरदाता संख्या 2 से 7 के लिए: श्री गणेश प्रसाद सिंह, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: घनश्याम, अधिवक्ता।

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 की आपराधिक अपील(खं.पी.) सं. 186

थाना कांड सं.-227, वर्ष-2014, थाना- गायघाट, जिला-मुजफ्फरपुर से उद्भूत

=====

उर्मिला देवी, पति- तपेश्वर राय, निवासी- ग्राम- जगनिया, थाना- गायघाट (बेनियाबाद), जिला- मुजफ्फरपुर

... ..अपीलकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. राम रतन राय, पिता-स्वर्गीय वीर राय, निवासी- ग्राम- जगनिय, थाना-गायघाट, जिला- मुजफ्फरपुर
3. रमेश राय, पिता-स्वर्गीय राम जतन राय, निवासी- ग्राम- जगनिय, थाना-गायघाट, जिला- मुजफ्फरपुर
4. नरेश राय, पिता-स्वर्गीय राम जतन राय, निवासी- ग्राम- जगनिय, थाना-गायघाट, जिला- मुजफ्फरपुर
5. रंजीत राय, पिता-स्वर्गीय राम जतन राय, निवासी- ग्राम- जगनिय, थाना-गायघाट, जिला- मुजफ्फरपुर
6. सावन राय, पिता-स्वर्गीय राम जतन राय, निवासी- ग्राम- जगनिय, थाना-गायघाट, जिला- मुजफ्फरपुर
7. संजीत राय, पिता-स्वर्गीय राम जतन राय, निवासी- ग्राम- जगनिय, थाना-गायघाट, जिला- मुजफ्फरपुर

... ..उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

अपीलकर्ता के लिए : श्री प्रधान मुरली मनोहर प्रसाद, अधिवक्ता

राज्य के लिए : सुश्री शशि बाला वर्मा, अतिरिक्त लो. अभि.

उत्तरदाता सं. 2 से 7 के लिए: श्री गणेश प्रसाद सिंह, अधिवक्ता

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र सिंह

सी.ए.वी. निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)

दिनांक: 10-09-2024

यह आपराधिक अपील, सूचक (अब दिवंगत) की पत्नी द्वारा, गायघाट थाना मामला सं. 227/2014 से उद्भूत, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-I, मुजफ्फरपुर (जिसे आगे 'विद्वान विचारण न्यायालय' कहा जाएगा) द्वारा सत्र परीक्षण सं. 615/2015 (जिसे आगे 'आक्षेपित निर्णय' कहा जाएगा) में दिनांक 31.10.2023 को पारित निर्णय को रद्द करने के लिए प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत विद्वान विचारण न्यायालय ने उन अभियुक्तों को, जो भारतीय दंड विधान (संक्षेप में 'भा.दं.वि.') की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 325, 307, 504 और 506 के तहत आरोपों की अपील में उत्तरदाता सं. 2 से 7 हैं, बरी कर दिया है।

अभियोजन मामला

2. अभियोजन पक्ष का मामला श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर ('एस.के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर') में गायघाट थाने के स.उ.नि., विवेकानंद मिश्रा द्वारा दर्ज तपेश्वर राय नामक व्यक्ति की फ़र्दबेयान पर आधारित है। सूचक ने आरोप लगाया कि 13.07.2014 को लगभग 4:00 अपराह्न, जब वह लदौर गाछी में अपनी भैंस चरा रहा था, राम जतन राय, रमेश राय, नरेश राय, रंजीत राय, संजीत राय और सावन राय वहाँ आए। सूचक के साथ उनकी पूर्व दुश्मनी थी, क्योंकि सूचक ने गायघाट थाना कांड सं. 309/2011 में गवाह के रूप में गवाही दी थी। आगे यह आरोप लगाया गया है कि राम जतन राय ने सूचक से पूछा कि उसने गवाही क्यों दी और जब सूचक ने उसे बताया कि उसने सच बताया है, तो राम जतन राय ने उसे जान से मारने का आदेश दिया, जिस पर नरेश राय ने सूचक के सिर पर डंडे से

हमला किया, जिसे सूचक ने अपने दाहिने हाथ से रोका, लेकिन नरेश राय ने उसे फिर से मारा जिससे उसका हाथ टूट गया। रमेश राय ने लाठी से हमला किया जिससे उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया। सावन राय ने लाठी से उसकी छाती पर वार किया जिससे उसकी पसलियाँ घायल हो गईं। रंजीत राय ने पिस्तौल के पिछले भाग से उस पर हमला किया। इसके बाद, आरोपी अपने घर की ओर भाग गए। उसकी चीखें सुनकर कई लोग इकट्ठा हुए और उसे गायघाट अस्पताल ले गए, जहाँ से उसे एस.के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया।

3. सूचक की फ़र्दबेयान के आधार पर गायघाट थाना थाना कांड सं. 227/2014 दर्ज किया गया, जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों (उत्तरदाता सं. 2 से 7) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 341, 323, 324, 325, 307, 504 और 506 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया। विद्वान दण्डाधिकारी ने 02.04.2015 के आदेश के तहत अपराधों का संज्ञान लिया और यह पाते हुए कि अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, अभिलेख सत्र न्यायालय को सौंप दिए गए। विद्वान सत्र न्यायाधीश की अदालत में अभिलेख प्राप्त होने के बाद, आरोपों को पढ़ा गया और आरोपियों को समझाया गया जिन्होंने आरोपों से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाहों से पूछताछ की गई और छह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष के गवाहों और अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों की सूची तत्काल संदर्भ के लिए नीचे सारणीबद्ध रूप में दी गई है:-

अभियोजन पक्ष के गवाह

अ.सा.-1	राम पदारथ राय
अ.सा.-2	तपेश्वर राय (सूचक)
अ.सा.-3	संजय राय
अ.सा.-4	विवेकानंद मिश्रा
अ.सा.-5	डॉ. सुधीर कुमार
अ.सा.-6	डॉ. बबुआ नंद मिश्रा
अ.सा.-7	उमेश मिश्रा

प्रदर्शनों की सूची

प्रदर्शन-1	फ़र्दबेयान
------------	------------

प्रदर्श-2	फ़र्देबेयान पर संजय राय के हस्ताक्षर
प्रदर्श-2/1	फ़र्देबेयान पर मामला दर्ज करने का समर्थन
प्रदर्श-3	प्रभारी अधिकारी के हस्ताक्षर औपचारिक प्राथमिकी
प्रदर्श-4	चोट रिपोर्ट के लिए अनुरोध पत्र
प्रदर्श-5	चोट की रिपोर्ट
प्रदर्श-6	चोट की रिपोर्ट

अभियोजन पक्ष के गवाहों के मौखिक साक्ष्यों का विश्लेषण

5. राम पदारथ राय (अ.सा.-1) ने बयान दिया है कि उसने बेनीबाद से घर लौटते समय यह घटना देखी थी। वह करीब 04:00 अपराह्न लदौर गाछी के पास पहुंचा था और देखा कि रमेश, नरेश और रंजीत तपेश्वर (सूचक) से किसी मामले में गवाही देने के लिए बहस कर रहे थे। वहां काफी भीड़ जमा थी। इस गवाह ने बयान दिया है कि रमेश, नरेश और रंजीत ने तपेश्वर को लाठी और रॉड से मारा। मारपीट से बचने में उसका हाथ टूट गया और दाहिना पैर भी टूट गया। तपेश्वर को लेकर वे पहले बेनीबाद गए, फिर गायघाट अस्पताल गए, जहां से उन्हें इलाज के लिए मुजफ्फरपुर भेज दिया गया। इस साक्षी के अनुसार तपेश्वर थाने भी गया था, लेकिन उसे पहले अस्पताल जाने और फिर मामला दर्ज कराने को कहा गया। इस साक्षी ने कहा है कि वह आरोपियों को जानता है, उसने राम जतन या सावन को घटनास्थल पर नहीं देखा था और वहां केवल तीन आरोपी थे। तपेश्वर (सूचक) के बारे में उसने कहा है कि वह उसका बड़ा भाई है। वह तपेश्वर को मोटरसाइकिल पर लेकर थाने गया था, जिसे संजय राय (अ.सा.-3) चला रहा था। तपेश्वर को दो दिन गायघाट अस्पताल में रखा गया और वहां से वह इलाज के लिए मुजफ्फरपुर चला गया, जहां वह 7-8 दिन तक भर्ती रहा।

6. तपेश्वर राय (अ.सा.-2) इस मामले का सूचक और घायल गवाह है। अपने मुख्य परीक्षण में उसने कहा है कि घटना 13.07.2014 को करीब 04:00 अपराह्न में हुई जब वह लदौर गाछी के पास अपनी भैंस चरा रहा था। उसने इस मामले में उत्तरदाता सं. 2 से 7 तक के छह लोगों का नाम लिया है और कहा है कि वे अचानक उसके पास आए। राम जतन (उत्तरदाता-2) ने सूचक से पूछा कि उसने गवाही क्यों दी और जब उसने जवाब दिया कि उसने सच कहा है, तो राम जतन ने अपने पांच बेटों को उसे मारने का आदेश दिया। नरेश राय

(उत्तरदाता-4) ने उसके सिर पर लोहे की छड़ से वार किया। अ.सा.-2 के अनुसार नरेश राय ने एक बार फिर उन पर वार किया और जब उन्होंने इस वार को रोका तो उनका दाहिना हाथ फ्रैक्चर हो गया। रमेश (उत्तरदाता-3) ने उन्हें लाठी से मारा और उनका दाहिना पैर तोड़ दिया। सावन ने उनके सीने पर लाठी से मारा जिससे उनका दाहिना हाथ घायल हो गया। रंजीत ने उन्हें रिवॉल्वर के पिछले भाग से कई बार मारा जिससे उनकी गर्दन में चोट आई है। उन्होंने कहा है कि उनके चिल्लाने पर जब रामचंद्र राय, संजय राय, उदय राय, राम पदारथ राय, राम बली राय और अशोक राय आए तो आरोपी भाग गए। उनके भतीजे संजय राय उन्हें अपनी मोटरसाइकिल से थाने ले गए जहां उन्हें पहले इलाज कराने को कहा गया। वे गायघाट गए जहां उनका इलाज हुआ और उसके बाद एस.के.0 एम.सी.एच. मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया जहां अहियापुर थाने के स.उ.नि. उमाशंकर सिंह आए और उनका बयान लिया। अ.सा.-2 ने अपने फ़र्दबेयान को साबित किया है जिसे प्रदर्श 1 के रूप में चिह्नित किया गया है। जिरह में उसने कहा है कि 'लदौर गाछी उसके घर से 7-8 गज की दूरी पर है और बीच में केवल कृषि भूमि है। वह दोपहर 2:00 से 4:00 अपराह्न तक अपनी भैंस चराता था और आरोपी व्यक्तियों ने उस पर 4:00 अपराह्न हमला किया जब लोग वहां से गुजर रहे थे। उसने राहगीरों के रूप में रामबली राय और अशोक राय का नाम लिया।

7. संजय राय (अ.सा.-3) अ.सा.-2 का भतीजा है। उसने भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। उसने कहा है कि उसने देखा कि सड़क के किनारे राम जतन राय, नरेश राय, रंजीत राय और सावन राय तपेश्वर राय से उसके खिलाफ गवाही देने को लेकर बहस कर रहे थे। राम जतन राय ने उसे जान से मारने का आदेश दिया, जिस पर नरेश राय ने जान से मारने की नीयत से तपेश्वर राय के सिर पर रॉड से प्रहार किया। तपेश्वर ने हाथ से उसे रोका, लेकिन दूसरे वार में उसका हाथ टूट गया। रमेश ने लाठी से प्रहार कर उसका पैर तोड़ दिया। रंजीत ने पिस्तौल के पिछले भाग से मारा। सावन ने सीने पर लाठी से प्रहार कर उसे घायल कर दिया। वह तपेश्वर को मोटरसाइकिल से लेकर थाने गया, जहां उसे पहले इलाज कराने को कहा गया। गायघाट में भी तपेश्वर का कुछ देर इलाज किया गया और फिर उसे एस.के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने वहां सूचक का फ़र्दबेयान दर्ज किया था और इस गवाह ने फ़र्दबेयान पर अपना हस्ताक्षर किया था। उसने अपना हस्ताक्षर साबित कर दिया है, जिस पर प्रदर्श '2' अंकित है।

8. विवेकानंद मिश्रा (अ.सा.-4) इस मामले के जांच अधिकारी (संक्षेप में जां.अधि.) हैं। उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि 22.04.2014 को वे गायघाट थाना अंतर्गत बेनीबाद ओ.पी. में स.उ.नि. के पद पर पदस्थापित थे। तपेश्वर राय (अ.सा.-2) का बयान अहियापुर थाने के स.उ.नि. उमाशंकर सिंह ने दर्ज किया था और उसे थाना प्रभारी, गायघाट के अग्रेषण पत्र के साथ उनके पास भेजा गया था। उन्हें मामले की जांच में प्रभारी बनाया गया था। अ.सा.-4 ने प्राथमिकी के पृष्ठांकन और हस्ताक्षर को साबित कर दिया है, जिसे क्रमशः प्रदर्श '2/1' और '3' के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में घटना के स्थान का विवरण दिया है। उन्होंने कहा है कि घटनास्थल लदौर चौर गांव में स्थित है, जो लदौर पोखरी (तालाब) के पश्चिम में ईंटों से बनी सड़क के बगल में एक खाई है, यह जगनिया से लदौर तक जाती है। उत्तर में ईंटों से बनी सड़क है जो लदौर पक्की सड़क से मिलती है, दक्षिण में किशोर झा की 'परती' जमीन है, ईंटों से बनी सड़क जो जगनिया जाती है, पश्चिम में दशरथ झा की पानी भरी जमीन है और पूर्व में तपेश्वर झा की 'परती' जमीन है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने संजय राय, राम पदारथ राय, तपेश्वर राय, सूचक और राम चंद्र राय का बयान दर्ज किया था, इन सभी ने घटना का समर्थन किया था। उन्होंने धारा 107 के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी को एक रिपोर्ट भेजी थी। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (संक्षेप में पी.एच.सी.), गायघाट से चोट की रिपोर्ट की मांग की थी। इस गवाह ने कहा है कि उन्हें एस.के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर से चोट की रिपोर्ट मिली थी जिसे उन्होंने केस डायरी में दर्ज किया था। उन्होंने पी.एच.सी., गायघाट को चोट की रिपोर्ट भेजने के लिए जो पत्र भेजा था, उसे उन्होंने साबित कर दिया, जिसे प्रदर्श '4' के रूप में चिह्नित किया गया है। अपनी जिरह में उन्होंने कहा है कि उन्हें घटना के समय उस स्थान पर घटना का कोई संकेत नहीं मिला था, उन्होंने 05.08.2014 को सूचक का बयान दर्ज किया था और केस डायरी में इसका उल्लेख किया था। अ.सा.-4 ने कहा है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से मुकदमा चल रहा था और यही घटना का कारण है।

9. डॉ सुधीर कुमार (अ.सा.-5) पी.एच.सी., गायघाट, मुजफ्फरपुर में तैनात चिकित्सा अधिकारी थे, जिन्होंने तपेश्वर राय (अ.सा.-2) की जांच की थी और उनके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई थीं:- (i) कोहनी के ऊपर बाएं हाथ पर 3 सेमी x मांसपेशी गहरा घाव; (ii) बाएं पैर पर 3 सेमी x मांसपेशी गहरा घाव; (iii) बाएं अग्रबाहु पर फैली हुई सूजन। अ.सा.-5 ने अपने मुख्य परीक्षा में कहा है कि पहली चोट साधारण थी, दूसरी चोट के बारे में कहा

गया है कि फाइबुला शाफ्ट का फ्रैक्चर, हाथ की चोट गंभीर प्रकृति की थी और तीसरी चोट के बारे में उन्होंने कहा है कि एक्स-रे में अल्ना शाफ्ट का फ्रैक्चर दिखाई देता है, इसलिए यह गंभीर प्रकृति की है। हथियार की प्रकृति के संबंध में, अ.सा.-5 ने कहा है कि चोट सं. 1 से 3 तक किसी कठोर कुंद वस्तु से लगी हैं। अपनी जिरह में, उसने कहा है कि ऐसी चोटें पेड़ जैसी ऊँचाई से गिरने के कारण हो सकती हैं। उसने आगे कहा है कि चोटें शरीर के किसी महत्वपूर्ण हिस्से पर नहीं लगी हैं। डॉ बबुआ नंद शर्मा, अ.सा.-6, एस.के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर में सर्जरी विभाग में वरिष्ठ रेजिडेंट के पद पर तैनात थे। उन्होंने तपेश्वर राय (अ.सा.-2) की जांच की थी, जब उन्हें रेफर किया गया था। पीएचसी, गायघाट द्वारा। उन्होंने पाया कि दाहिने हाथ पर 4 सेमी लंबाई में घाव था और दाहिने टखने के आसपास कोमलता थी। एक्स-रे की सलाह दी गई और एक्स-रे प्लेट सं. 9675 दिनांक 13.07.2014 ने दाहिने अल्ना के शाफ्ट के फ्रैक्चर और टिबिया फिबुला के शाफ्ट के फ्रैक्चर को दिखाया। उन्होंने अपने पेन में प्रदर्श 6 के रूप में चोट की रिपोर्ट को साबित किया है। अपने जिरह में, उन्होंने कहा है कि चोट के समय का उल्लेख चोट की रिपोर्ट में नहीं किया गया है क्योंकि मरीज उनके पास संदर्भ के लिए आया था। उन्होंने अपनी जिरह में आगे कहा है कि ऐसी चोट ऊंचे खड़े पेड़ से गिरने के कारण हो सकती है।

10. उमेश मिश्रा, अ.सा.-7 एक सेवानिवृत्त अवर निरीक्षक हैं, जिन्होंने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। उन्होंने कहा है कि उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए थे और घटनास्थल का निरीक्षण भी नहीं किया था।

11. अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के बाद, अभियुक्तों के बयान दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए। दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत अपने बयानों में, अभियुक्तों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से अवगत कराया गया, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि वे गलत हैं और खुद को निर्दोष बताया। राम जतन राय, रमेश राय और नरेश राय ने कहा है कि पुरानी दुश्मनी के कारण उन्हें झूठा फंसाया गया है। अन्य गवाहों ने भी कहा है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें फंसाया गया है।

विचारण न्यायालय के निष्कर्ष

12. विद्वान विचारण न्यायालय ने इस बात पर विचार किया कि क्या अभियोजन पक्ष सभी उचित संदेहों से परे आरोपित अपराधों के लिए अभियुक्तों के अपराध को साबित करने में सक्षम है। भा.दं.वि. की धारा 147, 148 और 149 के तहत दंडनीय अपराधों के संबंध में, विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान के विश्लेषण पर पाया कि

जबकि अ.सा.-2 जो सूचक है, ने घटना को अंजाम देने वाले सभी छह व्यक्तियों का नाम लिया है, अ.सा.-1 ने केवल तीन अभियुक्तों राम नरेश, नरेश और रंजीत का नाम लिया है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि वह अभियुक्तों को पहचानता है, उसने घटनास्थल पर राम जतन और सावन को नहीं देखा था। वहाँ केवल तीन व्यक्ति थे। संजय राय (अ.सा.-3) ने कहा है कि राम जतन राय, नरेश राय, रमेश राय, रंजीत राय और सावन राय अ.सा.-2 से झगड़ रहे थे और राम जतन के आदेश पर नरेश राय ने तपेश्वर के सिर पर डंडे से हमला किया और खुद को बचाने की कोशिश करते हुए, दोबारा डंडे से हमला हुआ, जिससे तपेश्वर का हाथ टूट गया। रमेश ने तपेश्वर पर हमला किया और उसका पैर टूट गया। रंजीत राय ने पिस्तौल के पिछले भाग से उस पर हमला किया और सावन ने उसकी छाती पर लाठी से हमला किया जो उसके बाजू में लगी। इस स्तर पर, यह न्यायालय पाता है विद्वान विचारण न्यायालय ने विवादित निर्णय की कंडिका '16' में दर्ज किया है कि अ.सा.-3 संजय राय ने चार आरोपियों राम जतन राय, नरेश राय, रंजीत राय और सावन राय का नाम लिया है, लेकिन इस कोर्ट ने अ.सा.-3 की मुख्य परीक्षा के अवलोकन पर पाया कि उसने रमेश राय का भी नाम लिया है और कहा है कि रमेश ने लाठी से तपेश्वर पर हमला किया था और उसके पैर की हड्डी टूट गई थी। विद्वान विचारण न्यायालय ने माना है कि सूचक सहित केवल तीन महत्वपूर्ण गवाहों की जांच की गई है और उनमें से कोई भी घटना स्थल पर मौजूद आरोपियों की संख्या और नामों को लेकर सहमत नहीं है। इन परिस्थितियों में, विचारण न्यायालय ने माना है कि एक गैरकानूनी सभा की मूल आवश्यकता जिसके लिए पांच या उससे अधिक व्यक्तियों की सभा की आवश्यकता होती है, संदेह के दायरे में आती है।

13. धारा 307 भा.दं.वि. के तहत अपराध के संबंध में, विद्वान विचारण न्यायालय ने माना है कि इस धारा के तहत हत्या करने के स्पष्ट इरादे के सबूत की आवश्यकता होती है और इस इरादे को इस्तेमाल किए गए हथियार, हमले के लिए चुने गए शरीर के अंग और चोट की प्रकृति से पता लगाया जाना चाहिए। यह भी माना गया है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य से एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अभियुक्तों के पास रिवॉल्वर थी, लेकिन उन्होंने सूचक को गोली मारने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने उसे मारने के लिए रिवॉल्वर के बट का इस्तेमाल किया। इस कारण से विद्वान विचारण न्यायालय ने माना कि हत्या करने का कोई इरादा नहीं था। इसलिए, धारा 307 भा.दं.वि. के तहत अपराध साबित नहीं हुआ है।

14. धारा 323 और 325 भा.दं.वि. के तहत आरोप पर विचार करते समय, विद्वान विचारण न्यायालय ने डॉक्टरों के साक्ष्य की जांच की, जो अ.सा.-5 और अ.सा.-6 हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने माना कि अ.सा.-2, अ.सा.-3, अ.सा.-4 और अ.सा.-5 के साक्ष्य के साथ-साथ चोट की रिपोर्ट - प्रदर्श '5' और प्रदर्श '6' के मद्देनजर, यह साबित होता है कि आरोपी नरेश राय, रमेश राय, रंजीत राय और सावन राय ने स्वेच्छा से सूचक तपेश्वर राय को चोट पहुंचाई और गंभीर चोट पहुंचाई। ऐसा कहने के बाद, विद्वान विचारण न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि जिन आरोपियों पर घटना को अंजाम देने का आरोप है, उनके बारे में महत्वपूर्ण गवाहों के साक्ष्य में असंगति के अलावा, अन्य स्पष्ट विरोधाभास और विसंगतियाँ हैं, जो पूरी घटना पर संदेह की काली छाया डालती हैं और इस मामले के मूल आधार को हिला देती हैं। विचारण न्यायालय ने पाया कि ये घटना के स्थान से संबंधित हैं। यह पाया गया है कि अ.सा.-1 और अ.सा.-2 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि घटनास्थल लदौर गाछी के बगल में है, जबकि अ.सा.-3 ने कहा है कि घटनास्थल सड़क के किनारे है। इस मामले के जां.अधि. (अ.सा.-4) ने घटनास्थल का विवरण दिया है। घटना का विस्तृत विवरण लदौर गांव में स्थित लदौर पोखरी (तालाब) के पश्चिम में ईंटों से बनी सड़क के बगल में एक खाई के रूप में दर्ज किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने दर्ज किया कि जां.अधि. द्वारा दिए गए घटना स्थल के विवरण में घटना स्थल के आसपास किसी भी बाग का उल्लेख नहीं है, इस प्रकार, यह तथ्य कि गवाह घटना स्थल के बारे में सही-सही बयान नहीं दे रहे हैं, उनकी विश्वसनीयता पर संदेह पैदा करता है और उनके साक्ष्य स्पष्ट रूप से विश्वसनीय नहीं हैं।

15. घटनास्थल के संबंध में उपरोक्त निष्कर्षों और टिप्पणियों के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने माना कि घटनास्थल और आरोपी व्यक्तियों के बारे में महत्वपूर्ण विरोधाभास है, जिन पर हमला करने का आरोप है। यह देखा गया है कि विरोधाभास गवाहों द्वारा महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाने का संकेत देते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तविक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का जानबूझकर प्रयास किया गया है। इन परिस्थितियों में, सभी आरोपी व्यक्तियों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया गया है और उन्हें उनके पिछले जमानत बांड की देयता से मुक्त कर दिया गया है।

अपीलकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ

16. विद्वान विचारण न्यायालय के विवादित फैसले पर आपत्ति जताते हुए अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि विद्वान विचारण न्यायालय ने गलत और भूलवश

यह माना है कि अभियोजन पक्ष संदेह की सभी उचित छाया से परे आरोप साबित करने में विफल रहा है। विचारण न्यायालय ने पूरे सबूत पर विचार नहीं किया है और सिर्फ एक व्यक्तिगत विरोधाभास पर भरोसा किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि सभी भौतिक गवाह सुसंगत हैं और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। अ.सा.-1 ने अपने मुख्य परीक्षा में बयान दिया है कि रमेश, नरेश और रंजीत (उ-3 से उ-5) ने लाठी और रॉड के जरिए तपेश्वर (घायल) पर हमला किया। तपेश्वर के हाथ और बाएं पैर में चोटें आईं। घायल को 7-8 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चोट की रिपोर्ट जो प्रदर्श '5' और '6' हैं, पी.एच.सी., गायघाट के चिकित्सा अधिकारी और एस.के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर के वरिष्ठ रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी द्वारा विधिवत साबित की गई हैं, जिन्होंने अ.सा.-5 और अ.सा.-6 के रूप में बयान दिया है।

17. विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि सूचक (अ.सा.-2) इस मामले का एक घायल गवाह है और उसकी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता। उन्होंने **अब्दुल सईद बनाम मध्य प्रदेश राज्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया है, जो (2010) 10 एस.सी.सी. 259 (कंडिका '28') में रिपोर्ट किया गया है, यह प्रस्तुत करने के लिए कि एक घायल गवाह की गवाही को केवल तभी खारिज किया जा सकता है जब उसे बदनाम करने के लिए कोई ठोस सबूत हो।

18. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय से यह कहने में पूरी तरह से गलती हुई है कि इस मामले में धारा 307 भा.दं.वि. के तहत अपराध नहीं बनता। यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने इस संबंध में निष्कर्ष पर पहुंचने में यह कहकर गलती की है कि आरोपी व्यक्तियों की ओर से हत्या करने का कोई इरादा मौजूद नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि धारा 307 भा.दं.वि. तब लागू होगी जब कोई व्यक्ति ऐसे इरादे या ज्ञान के साथ कोई कार्य करता है, और ऐसी परिस्थितियों में, यदि वह उस कार्य से मृत्यु का कारण बनता है, तो वह हत्या का दोषी होगा। इस मामले में, यह स्पष्ट है कि आरोपी व्यक्तियों ने डंडे और लाठी से सूचनाकर्ता (अ.सा.-2) पर हमला किया था और उस पर बार-बार हमले किए गए जिससे उसके हाथ टूट गए और डॉक्टर ने दो गंभीर चोटें पाई हैं।

19. यह प्रस्तुत किया गया है कि भा.दं.वि. की धारा 307 के तहत मामला दर्ज करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु का कारण बनने वाली शारीरिक चोट पहुंचाई गई हो। इस संबंध में, **उत्तरदाता. प्रकाश बनाम कर्नाटक राज्य** के मामले में माननीय सर्वोच्च

न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसे ए.आई.उत्तरदाता. 2004 एस.सी. 1812 में रिपोर्ट किया गया है।

20. यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष दर्ज किया है कि अभियुक्त नरेश राय, रमेश राय, रंजीत राय और सावन राय ने स्वेच्छा से सूचक तपेश्वर राय को चोट पहुंचाई और गंभीर चोट पहुंचाई। विद्वान विचारण न्यायालय ने चार आरोपियों (अ.सा.-3, 4, 5 और 6) को भा.दं.वि. की धारा 323 और 325 के तहत आरोपों के लिए दोषी ठहराया था, लेकिन विद्वान विचारण न्यायालय ने घटनास्थल के संबंध में अभियोजन साक्ष्य की सत्यता पर संदेह करके आरोपी व्यक्तियों (3-2 से 3-7) को बरी कर दिया है।

21. यह प्रस्तुत किया गया है कि सूचक (अ.सा.-2) के फ़र्दबेयान से यह प्रतीत होता है कि उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि 13.07.2014 को लगभग 4.00 अपराह्न वह लदौर चौर गाछी में अपनी भैंस चराने में व्यस्त था। यह प्रस्तुत किया गया है कि लदौर गांव का नाम है और आम बोलचाल में ग्रामीण ऐसे स्थानों को चौर गाछो कहते हैं जहां जानवरों को चराने के लिए ले जाया जाता है और जहां कुछ बागान उपलब्ध हैं। विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करते समय खुद ही लदौर चौर गाछी शब्द की व्याख्या इस तरह की है जैसे कि वह एक बगीचा हो। भले ही अपने मुख्य परीक्षण में अ.सा.-2 ने कहा हो कि वह लदौर चौर में अपनी भैंस चरा रहा था और अभियोजन पक्ष के गवाहों की जिरह के पैटर्न से, यह प्रतीत होता है कि बचाव पक्ष ने अभियोजन पक्ष के गवाहों को कभी यह सुझाव नहीं दिया कि लदौर चौर गाछी में कोई घटना नहीं हुई थी। वास्तव में, बचाव पक्ष ने अ. सा.-2 के बारे में कहा कि वह अपनी भैंस चराने में व्यस्त था और जब उसे पकड़ा गया तो वह भैंस की सवारी कर रहा था, तिससे वह नीचे गिर गया और उसी से वह घायल हो गया। विद्वान वकील ने दलील दी कि कई जगहों पर विद्वान विचारण न्यायालय ने बयान दर्ज करते समय खुद ही एक वैकल्पिक शब्द ('बाग') या ('बगीचा') डाला है। बचाव पक्ष ने अ.सा.-2 के घर से 7-8 सौ गज की दूरी पर स्थित लदौर चौर गाछी में अ.सा.-2 की मौजूदगी पर सवाल नहीं उठाया है।

22. यह प्रस्तुत किया गया है कि जां.अधि. ने घटनास्थल का विवरण दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि घटनास्थल लादौर चौर में स्थित है। लादौर चौर की सीमा बताते हुए जां.अधि. ने कहा है कि उत्तर दिशा में ईंटों से बनी सड़क है जो लादौर पक्की सड़क से जुड़ती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जां.अधि. ने पाया कि दक्षिण और पूर्व दिशा में परती भूमि

थी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि परती भूमि के कारण ही सूचनाकर्ता अपनी भैंस चराने के लिए वहां गया था और यह वह मौसम था जब परती भूमि में भरपूर घास उपलब्ध होती थी।

23. यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष के सभी गवाह घटनास्थल के बारे में एकमत हैं और इसे या तो लादौर गाछी या लादौर चौर गाछी बताते हैं। साक्ष्य में यह भी सामने आया है कि लादौर चौर गाछी की सीमा उत्तर से दक्षिण की ओर एक ईट की सड़क से होकर गुजरती है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य की सराहना करने में गलती की है।

24. यह प्रस्तुत किया गया है कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि घटनास्थल अभियोजन पक्ष द्वारा सभी उचित संदेहों से परे साबित कर दिया गया है और इसके बारे में कोई दूसरी राय नहीं हो सकती है।

25. अंत में यह दलील दी गई कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की सराहना करते समय, अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों के मामले पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि न्याय का कोई भी उल्लंघन न हो। जबकि यह महत्वपूर्ण है कि निर्दोष व्यक्ति को दोषी घोषित न किया जाए, यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि अपराध के पीड़ित को न्याय मिले और अपराधी को कानून के अनुसार दंडित किया जाए। यह उन मामलों में से एक नहीं है जिसमें रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर घटनास्थल के संबंध में दो दृष्टिकोण संभव हैं, इसलिए, विद्वान विचारण न्यायालय के फैसले को खारिज किया जाना चाहिए और उत्तरदाता सं. 2 से 7 को आरोपित अपराधों के लिए दंडित किया जाना चाहिए।

उत्तरदाता सं. 2 से 7 की ओर से प्रस्तुतियां.

26. उत्तरदाता सं. 2 से 7 के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा अपील का विरोध किया गया है। विद्वान विचारण न्यायालय के फैसले का बचाव करते हुए, आरोपी व्यक्तियों-उत्तरदाता सं. 2 से 7 के विद्वान अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय अभिलेख पर अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों का उचित मूल्यांकन किया है। फ़र्दबेयान में सूचक (अ.सा.-2) ने छह व्यक्तियों के नाम लिए हैं जो घटनास्थल पर आए थे, हालांकि, उसने कहा है कि राम जतन राय के आदेश पर नरेश राय, रमेश राय, सावन राय और रंजीत राय उस पर हमला करने में शामिल थे। अपने मुख्य परीक्षण में, एक बार फिर अ.सा.-2 ने छह अभियुक्तों के नाम लिए हैं लेकिन उनके भाई राम पदारथ राय, जिन्होंने अ.सा.-1 के रूप में गवाही दी है, ने कहा है कि जब वह लदौर गाछी के पास पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि रमेश, नरेश और रंजीत तपेश्वर से झगड़ा कर रहे

थे। अ.सा.-1 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्होंने राम जतन और सावन को घटनास्थल पर नहीं देखा था। अ.सा.-3 जो अ.सा.-2 का भतीजा है, ने राम जतन राय, नरेश राय, रमेश राय और सावन राय की उपस्थिति के बारे में कहा है, उन्होंने संजीत राय की उपस्थिति के बारे में नहीं कहा है। उन्होंने नरेश राय को वह व्यक्ति बताया है जिसने अ.सा.-2 पर डंडे से हमला किया था जिससे उसके हाथ फ्रैक्चर हो गए थे, रमेश ने अ.सा.-2 पर हमला किया था जिससे उसके पैर फ्रैक्चर हो गए थे, रंजीत ने पिस्तौल के पिछले हिस्से से हमला किया था और संजीत ने छाती के पास लाठी से हमला किया था लेकिन डॉक्टर (अ.सा.-5) को छाती पर पिस्तौल के पिछले हिस्से से की गड़ कोई चोट नहीं मिली थी। इस प्रकार, विद्वान विचारण न्यायालय ने सही निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष के गवाह घटनास्थल पर गवाहों की सं. के संबंध में सुसंगत नहीं हैं।

27. विद्वान अधिवक्ता ने आगे दलील दी कि विद्वान विचारण न्यायालय का यह कहना पूरी तरह से उचित है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य यह नहीं दिखा सके कि अभियुक्तों की ओर से सूचक को मारने का कोई इरादा था। पिस्तौल के बट का इस्तेमाल यह दर्शाता है कि हत्या करने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए धारा 307 भा.दं.वि. लागू नहीं होगी।

28. उत्तरदाता सं. 2 से 7 के विद्वान अधिवक्ता ने घटनास्थल के बिंदु पर साक्ष्यों की सराहना के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय के फैसले का बचाव किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों और जां.अधि. द्वारा बताई गई घटनास्थल अलग-अलग हैं, इसलिए विद्वान विचारण न्यायालय ने सही कहा है कि घटनास्थल के आसपास किसी भी बाग का उल्लेख नहीं है।

29. राज्य के विद्वान अपर लो.अभि. ने भी विद्वान विचारण न्यायालय के फैसले का बचाव किया है तथा उत्तरदाता सं. 2 से 7 के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों का समर्थन किया है।

प्रतिफल

30. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान अपर लो.अभि. तथा उत्तरदाता सं. 2 से 7 के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने तथा विचारण न्यायालय के अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात हम पाते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के महत्वपूर्ण गवाहों के बयानों की जांच करने के पश्चात पाया कि आरोपी व्यक्तियों की संख्या के साथ-साथ घटनास्थल पर मौजूद आरोपी व्यक्तियों के नामों के संबंध में सुसंगत नहीं हैं। आरोपी

व्यक्तियों की सं. के संबंध में, हम विद्वान विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमत हैं कि अभियोजन पक्ष के गवाहों अर्थात् अ.सा.-1, अ.सा.-2 (सूचक) और अ.सा.-3 ने अलग-अलग बयान दिए हैं। जबकि अ.सा.-2 ने दावा किया है कि वहां छह व्यक्ति थे, अ.सा.-1 ने कहा है कि उसने केवल तीन व्यक्तियों को देखा था लेकिन अ.सा.-3 ने पांच आरोपी व्यक्तियों की उपस्थिति के बारे में कहा है। विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने फैसले के कंडिका '16' में गलत तरीके से दर्ज किया है कि अ.सा.-3 संजय राय ने चार आरोपी व्यक्तियों का नाम लिया है। हम अ.सा.-3 की मुख्य परीक्षा के अवलोकन पर पाते हैं कि उसने पांच आरोपी व्यक्तियों का नाम लिया था। सभी गवाह नरेश राय, रमेश राय और रंजीत राय की उपस्थिति के संबंध में सुसंगत हैं। इसलिए, सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि नरेश राय, रमेश राय और रंजीत राय घटना के स्थान पर मौजूद थे जो लदौर चौर गाछी में हुई थी जिसमें अ.सा.-2 (सूचक) पर हमला किया गया था। हम पाते हैं कि राम पदारथ राय (अ.सा.-1) अ.सा.-2 (सूचक) का छोटा भाई होने के नाते एक विश्वसनीय गवाह है क्योंकि उसने इन तीनों आरोपी व्यक्तियों के परिवार के किसी अन्य सदस्य को फंसाने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका '4' में कहा है कि केवल रमेश, नरेश और रंजीत नामक तीन व्यक्ति हमला करने में शामिल थे और उन्होंने घटनास्थल पर राम जतन और सावन को नहीं देखा था। हमारा मानना है कि विद्वान विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सही है कि गैरकानूनी सभा की बुनियादी आवश्यकता जिसके लिए पांच या उससे अधिक व्यक्तियों की सभा की आवश्यकता होती है, संदिग्ध हो जाती है।

31. जहां तक विद्वान विचारण न्यायालय के इस निष्कर्ष का संबंध है कि हत्या करने के किसी इरादे के अभाव में धारा 307 भा.दं.वि. के तहत अपराध साबित नहीं किया जा सकता, हमारा मत है कि भले ही इस बिंदु पर दो राय हो सकती हैं, यह न्यायालय बरी किए जाने के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते समय विद्वान विचारण न्यायालय की राय के स्थान पर अपनी राय नहीं थोपेगा। भा.दं.वि. की धारा 307 इस प्रकार है:-

"307. हत्या का प्रयास--

जो कोई भी ऐसे इरादे या ज्ञान के साथ और ऐसी परिस्थितियों में कोई कार्य करता है कि यदि उस कार्य से किसी की मृत्यु हो जाती है, तो वह हत्या का दोषी होगा, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा,

जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा; और यदि ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति को चोट पहुँचती है, तो अपराधी को (आजीवन कारावास) या यहां पहले वर्णित दंड का सामना करना पड़ेगा।

जीवन-दोषियों द्वारा प्रयास-

²[जब इस धारा के अंतर्गत अपराध करने वाला कोई व्यक्ति ¹[आजीवन कारावास] की सजा के अधीन हो, तो उसे, यदि उसे चोट पहुँचाई जाती है, तो मृत्युदंड दिया जा सकता है।]

रेखांकन

(क) क, य को मार डालने के आशय से उस पर गोली चलाता है, ऐसी परिस्थितियों में कि यदि य की मृत्यु हो जाती है तो क हत्या का दोषी होगा। क इस धारा के अधीन दण्डनीय है।

(ख) क किसी अल्पवयस्क बालक की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे किसी निर्जन स्थान में खुला छोड़ देता है। क ने इस धारा द्वारा परिभाषित अपराध किया है, यद्यपि बालक की मृत्यु नहीं होती है।

(ग) क, य की हत्या करने के इरादे से एक बंदूक खरीदता है और उसमें गोली भरता है। क ने अभी तक अपराध नहीं किया है। क, य पर बंदूक चलाता है। उसने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है, और यदि ऐसी गोली चलाकर वह य को घायल कर देता है, तो वह इस धारा के प्रथम कंडिका के उत्तरार्द्ध द्वारा उपबंधित दंड का भागी होगा।

1. 1952 के अधिनियम सं. 26 की धारा 117 और अनुसूची द्वारा प्रतिस्थापित (1-1956 से प्रभावी) "आजीवन निर्वासन" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1870 के अधिनियम 27 की धारा 11 द्वारा जोड़ा गया

(घ) क, ज़हर द्वारा य की हत्या करने का आशय रखते हुए, ज़हर खरीदता है और उसे उस भोजन में मिला देता है जो क के पास रहता है; क ने अभी तक इस धारा में अपराध नहीं किया है। क भोजन को य की मेज पर रख देता है या उसे य के नौकरों को देता है ताकि वह उसे य की मेज पर रख दे। क ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है।"

32. हमारे सामने यह तर्क दिया गया है कि धारा 307 भा.दं.वि. के तहत मामला दर्ज करने के लिए शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से पर चोट की उपस्थिति की आवश्यकता नहीं है। जबकि हम धारा 307 भा.दं.वि. के तहत मामले के सबूत के संबंध में कानून के प्रस्तावों और अवयवों से सहमत हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है, हम पाते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को बदलने की आवश्यकता नहीं है।

33. धारा 323 और 325 भा.दं.वि. के तहत अपराध के संबंध में, विद्वान विचारण न्यायालय ने अ.सा.-2, अ.सा.-3, अ.सा.-4, अ.सा.-5 और अ.सा.-6 के साक्ष्यों के साथ-साथ चोट रिपोर्ट प्रदर्श-5 और 6 की सराहना करते हुए पाया है कि उन्होंने साबित कर दिया है कि आरोपी नरेश राय, रमेश राय, रंजीत राय और सावन राय ने स्वेच्छा से सूचक तपेश्वर राय को चोट पहुंचाई और गंभीर चोट पहुंचाई। अ.सा.-5 द्वारा प्रमाणित चोट रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर, हमें पता चलता है कि डॉक्टर ने बाएँ हाथ पर कोहनी के ऊपर 3 सेमी x मांसपेशियों में गहरा घाव, बाएँ पैर पर 3 सेमी x मांसपेशियों में गहरा घाव और बाएँ अग्रबाहु पर सूजन कम होने का पता लगाया था। ये चोटें विशेष रूप से नरेश राय और रमेश राय को दी गई हैं। सूचक (अ.सा.-2) ने कहा है कि सावन राय ने उस पर लाठी से हमला किया था जिससे उसकी छाती के पास दाहिनी पसली टूट गई और रंजीत राय ने पिस्तौल के पिछले भाग से उस पर हमला किया जिससे उसकी गर्दन पर चोट आई और उसकी गर्दन सूज गई है लेकिन चोट की रिपोर्ट और डॉक्टरों (अ.सा.-5 और अ.सा.-6) के साक्ष्य सूचक (अ.सा.-2) की दाहिनी पसली और गर्दन पर कोई चोट नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए, यह न्यायालय पाता है कि अभियोजन पक्ष इस अपील में उत्तरदाता क्रमशः 3 और 4 रमेश राय और नरेश राय के खिलाफ भा.दं.वि. की धारा 323 और 325 के तहत आरोप साबित करने में सक्षम है। हमने पाया कि राम जतन और संजीत की उपस्थिति अ.सा.-1 द्वारा समर्थित नहीं है, जिसे हम इस मामले में एक बहुत ही विश्वसनीय गवाह मानते हैं। साथ ही, रंजीत और सावन पर अ.सा.-2 को चोट पहुँचाने के आरोप,

चोट की रिपोर्ट और डॉक्टरों के साक्ष्य से पुष्ट नहीं हो रहे हैं। इन परिस्थितियों में, हमारा यह सुविचारित मत है कि इस मामले में अभियोजन पक्ष केवल उ सं. 3 और उ सं. 4 के विरुद्ध ही धारा 323 और 325 भा.दं.वि. के तहत मामला साबित कर पाया है।

34. यह हमें निर्णय के अंतिम बिंदु पर ले आता है। विद्वान विचारण न्यायालय ने घटनास्थल पर विश्वास नहीं किया है। विद्वान विचारण न्यायालय ने दर्ज किया है कि अ.सा.-1 और अ.सा.-2 ने स्पष्ट रूप से कहा है कि घटनास्थल लदौर गाछी के बगल में है। विवादित फैसले में, विद्वान विचारण न्यायालय ने ('ऑर्चर्ड') दर्ज किया है, जिससे यह आभास होता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने मान लिया है कि लदौर गाछी 'अंग्रेजी' में 'ऑर्चर्ड' है, जो हमारी राय में घटनास्थल के अर्थ को समझने का सही तरीका नहीं होगा।

35. अ.सा.-1 के साक्ष्य से हमें पता चलता है कि उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब वह लदौर गाछी के पास पहुंचा तो उसने घटना देखी थी। अ.सा.-2 ने कहा है कि वह बगीचा के अलावा लदौर चौर में अपनी भैंस चराने ले गया था। जिरह की कंडिका '3' में उसने एक बार फिर कहा है कि लदौर गाछी उसके घर से 7-8 सौ गज की दूरी पर स्थित है। हम पाते हैं कि अभियोजन पक्ष के साक्षियों के बयान दर्ज करते समय लगभग सभी स्थानों पर विचारण न्यायालय ने स्वयं ही हिंदी शब्द 'गाछी' की व्याख्या 'बगीचा' या (बाग) के रूप में की है और प्रतिस्थापित शब्दों को रख दिया है। हमारे विचार से यह विद्वान विचारण न्यायालय की ओर से एक गलती है। विद्वान विचारण न्यायालय ने दर्ज किया है कि जां.अधि. (अ.सा.-4) ने घटनास्थल का विस्तार से वर्णन करते हुए बताया है कि यह लदौर पोखरी (तालाब) के पश्चिम में ईंटों से बनी सड़क के बगल में एक खाई है लदौर गांव में। अ.सा.-4 के साक्ष्य से हमें पता चलता है कि अपने मुख्य परीक्षण में उसने कहा है कि घटनास्थल लदौर चौर गांव में है जो लदौर पोखरी (तालाब) के पश्चिम में ईंटों से बनी सड़क के बगल में एक खाई है और इस ईंटों से बनी सड़क के बारे में उसने कहा है कि यह जगनिया से लदौर तक जाती है।

36. हम पाते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने इस घटनास्थल पर यह कहते हुए विश्वास नहीं किया है कि जां.अधि. के साक्ष्य में घटनास्थल के आसपास किसी बाग का उल्लेख नहीं है। हम पाते हैं कि विद्वान विचारण न्यायालय ने इस बिंदु पर घोर गलती की है। अभियोजन पक्ष के मामले में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि घटनास्थल के आसपास कोई बाग था। विद्वान विचारण न्यायालय ने गलत दृष्टिकोण अपनाया है क्योंकि विद्वान विचारण न्यायालय के दिमाग में कहीं न कहीं 'लदौर चौर गाछी' शब्द को एक ऐसे स्थान के रूप में

देखा जा रहा था जो एक बाग है। हम अपीलकर्ता के विद्वान वकील के इस तर्क से सहमत हैं कि गांवों में 'चौर' आमतौर पर उस स्थान को कहा जाता है जहां जानवरों को चराने के लिए ले जाया जाता है और किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष चरागाह स्थान को 'चौर' या 'चौर गाछी' कहा जा सकता है। यहाँ तक कि जां.अधि. ने भी पाया है कि घटनास्थल की सीमा में आंशिक रूप से खाली ज़मीन थी और जुलाई के महीने में आंशिक ज़मीन में घास की उपलब्धता सर्वविदित है। हमारा मानना है कि अभियोजन पक्ष के साक्ष्य के आधार पर यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अभियोजन पक्ष घटना स्थल को सभी उचित संदेहों से परे साबित करने में सक्षम रहा है। विद्वान विचारण न्यायालय ने रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों की सराहना करने में पूरी तरह से गलती की है।

37. हम इस तथ्य से अवगत हैं कि यह बरी किए जाने के खिलाफ एक अपील है और उच्च न्यायालय को बरी किए जाने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। **एच.डी. सुंदरा बनाम कर्नाटक राज्य (2023) 9 एससीसी 581** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन सिद्धांतों पर विचार किया है जो दं.प्र.सं. की धारा 378 के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील से निपटने के दौरान अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग को नियंत्रित करते हैं। सिद्धांतों को कंडिका '8.1' से '8.5' में संक्षेपित किया गया है जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है: -

"8.1. अभियुक्त को बरी किये जाने से निर्दोषता की धारणा और मजबूत हो जाती है;

8.2. अपीलीय न्यायालय, दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील की सुनवाई करते समय, मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन करने का हकदार है;

8.3. अपीलीय न्यायालय को, दोषमुक्ति के विरुद्ध अपील पर निर्णय करते समय, साक्ष्यों का पुनः मूल्यांकन करने के पश्चात, इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है जिसे रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर लिया जा सकता था;

8.4. यदि लिया गया दृष्टिकोण एक संभावित दृष्टिकोण है, तो अपीलीय न्यायालय इस आधार पर बरी करने के आदेश को पलट नहीं सकता कि दूसरा दृष्टिकोण भी संभव था; तथा

8.5. अपीलीय न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश में केवल तभी हस्तक्षेप कर सकता है, जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एकमात्र निष्कर्ष यह था कि अभियुक्त का अपराध संदेह से परे साबित हो चुका था तथा कोई अन्य निष्कर्ष निकालना संभव नहीं था।"

38. हम पहले ही यह मान चुके हैं कि घटनास्थल के संबंध में अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों और जिरह के पैटर्न के आधार पर एकमात्र निष्कर्ष यही है कि घटनास्थल के बारे में कोई संदेह नहीं है कि यह लादौर चौर गाछी है, जहां सूचक अपनी भैंस चराने के लिए ले गया था। घटनास्थल की तारीख, समय, घटनास्थल और घटनास्थल के तरीके को विधिवत साबित किया गया है।

39. उपर्युक्त चर्चाओं के आलोक में, हम उत्तरदाता सं. 3 और 4, अर्थात् रमेश राय और नरेश राय के विरुद्ध दिए गए विवादित निर्णय को रद्द करते हैं। उन्हें धारा 323 और 325 भा.दं.वि. के तहत अपराध करने का दोषी पाया गया है।

40. उत्तरदाता-2, उत्तरदाता-5, उत्तरदाता-6 और उत्तरदाता-7 को बरी करने वाले विद्वान विचारण न्यायालय के फैसले में उपरोक्त कारणों से हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।।

41. इस मामले को 12.09.2024 को दोपहर 12.30 बजे सज़ा पर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें।।

(रजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

(शैलेन्द्र सिंह, न्यायमूर्ति)

अरविन्द/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।